लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3808

12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातकों के लिए जोखिम कम करना

3808. श्री शशांक मणि:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र मंत्रालय और 'मोदीफाई' इंडिया के बीच सहयोग के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या उक्त सहयोग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्तीय संसाधनों तक उनकी पहुँच में सुधार करके वस्त्र और हथकरघा क्षेत्रों में लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को लाभान्वित करना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने निर्यातकों के लिए मुद्रा में उतार-चढ़ाव, निर्यात बाजारों में राजनीतिक अस्थिरता और भुगतान चूक सहित सुरक्षा जोखिम कम करने के उपाय शुरू किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय और मोदीफाई इंडिया के बीच ऐसा कोई सहयोग नहीं है।

(ग): निर्यात संवर्धन और निर्यात जोखिमों को कम करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय वस्त्रों के निर्यात प्रदर्शन की निरंतर निगरानी कर रहा है और वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के परामर्श से उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।

विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.55 के अनुसार

(i) निर्यात को समर्थन देने के लिए सरकार के पॉलिसी साधन के रूप में निर्यात ऋण एजेंसियां (ईसीए) हैं। ईसीए बीमा, गारंटी और प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से भी निर्यात का समर्थन करती हैं। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) जैसी निर्यात ऋण एजेंसियाँ (ईसीए) निर्यातकों को ऋण बीमा सहायता और निर्यात ऋण उधार प्रदान करती हैं। ईसीजीसी द्वारा निर्यातकों को जारी किए गए कवर, खरीदारों के दिवालिया होने या भुगतान न करने या राजनीतिक जोखिमों के कारण भुगतान विफलताओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। निर्यातक ऐसे कवर के माध्यम से मौजूदा बाजारों की सुरक्षा के अलावा अपने बाजारों में विविधता ला सकते हैं। ईसीजीसी परियोजना निर्यात सहित मध्यम और दीर्घकालिक (एमएलटी) निर्यातों को भी समर्थन प्रदान करतह है। एक्ज़िम बैंक, एमएलटी निर्यातों के लिए ऋण देने और सरकार की ऋण व्यवस्था को आगे बढ़ाने के व्यवसाय में एक अन्य ईसीए है।

(ii) ईसीजीसी, क्रेता के दिवालिया होने या भुगतान न कर पाने के कारण निर्यात व्यापार में निर्यातकों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त, युद्ध, अचानक आयात प्रतिबंध, शिपमेंट प्रभावित होने के बाद कानून या डिक्री की घोषणा जैसे राजनीतिक जोखिमों से होने वाले नुकसान भी कवर किए जाते हैं। शिपमेंट के बाद लागू किए गए कुछ एंटी-डंपिंग उपाय या गैर-टैरिफ अवरोध राजनीतिक जोखिम के दायरे में आएंगे। ऐसे मामलों में निर्यातकों के हित की रक्षा ईसीजीसी द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भागीदारी के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

****